

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)

/विज्ञापन/

क्रमांक क/तीन-03-01/2006

रायपुर, दिनांक 15/03/2024

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि – 21.03.2024 प्रातः 11.00 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.04.2024 तक संध्या 5.00 बजे तक

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर के अंतर्गत आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारी फरारिश, माली, वाटरमेन, चौकीदार एवं स्वीपर के निम्नांकित रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

रिक्त पदों का विवरण :-

क	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				सामान्य वर्ग			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी(कलेक्टर दर पर)																		
1	फरारिश	15	01	-	-	-	02	-	-	-	02	-	-	-	07	03	-	-
	मली																	
	वाटरमेन																	
	चौकीदार																	
	स्वीपर																	

महत्वपूर्ण टीप :-

- उपरोक्त पदों के संबंध में विज्ञापन/भर्ती/नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एस.एल.पी(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी ।
- पदों की संख्या परिवर्तनीय है ।
- महिलाओं को नियमानुसार होरिजॉन्टल आरक्षण दिया जावेगा । किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है, तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किये जावेंगे अपितु उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे ।
- मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के मूल निवासी, ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचारित किये जाएंगे, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं ।

5. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो ।
6. ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार 40 प्रतिशत से कम है, उन्हें आरक्षित दिव्यांग पद के विरुद्ध विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें उनके संबंधित वर्ग में माना जाएगा ।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (फर्राश-03 माली-03, वाटरमेन-03 चौकीदार-03 तथा स्वीपर-03 पद) के लिए -

अ-वेतन 10620/- एकमुश्त

शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम कक्षा-8वी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी(बोली)/स्थानीय भाषा(बोली) का ज्ञान होना चाहिए । सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें, साथ ही यदि किसी अन्य कार्य में विशेषज्ञता रखते हो जैसे ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, फर्राश, माली एवं प्लम्बर के कार्य का शासकीय संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम, या प्रायवेट कम्पनी में कम से कम 01 वर्ष के कार्य का अनुभव हो और संस्था प्रमुख द्वारा अनुभव प्रमाणपत्र संस्था प्रमुख द्वारा सील एवं हस्ताक्षर के साथ प्रदत्त किया गया हो, संलग्न किये जाने पर उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी ।
2. आवेदन पत्र उचित रूप से पाये जाने मात्र से आवेदक साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने का अधिकारी नहीं होगा । रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए माननीय प्रधान न्यायाधीश, रायपुर के द्वारा साक्षात्कार के लिए पात्रता निर्धारण हेतु नियम/प्रक्रिया विहित की जा सकेगी एवं तत्संबंध में माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा तथा आवश्यकता होने पर ही साक्षात्कार लिया जावेगा । अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

:-आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :-

(1) आयु सीमा :-

प्रत्येक वे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ0ग0 के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी । छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग(गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार

पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

नोट :-छ.ग. राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी ।

आयु संबंधी प्रमाण के लिए पाचवी अथवा दसवी(हाईस्कूल) में दर्शित जन्मतिथि मान्य होगी ।

जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में, छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(2)अन्य शर्तें –

1. वह भारत का नागरिक हो ।
2. रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)
- 3.चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उनकी सेवा समाप्त किया जाकर दण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी ।
4. उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
5. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित वैध होना अनिवार्य है ।
- 6 कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन को यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।
7. कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।
8. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार हस्ताक्षरित कर स्व-प्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज(यथा जन्म/आयु प्रमाण पत्र कक्षा 5वीं 8वीं एवं 10वीं प्रमाण पत्र) जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप

से आवेदित पद " आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र में पद का नाम **फरार्श, माली, वाटरमेन, चौकीदार, एवं स्वीपर** स्पष्ट रूप से लिखा हो । एक आवेदन पत्र में एक से अधिक पद का नाम लिखे जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा । एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन रखे जाने पर भी आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा ।

आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे । उपरोक्त आवेदन पत्र कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे । कोरियर,पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा । दिनांक 10.04.2024 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति , निवास विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा ।

नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के आवेदन पत्र की छटनी के पश्चात् पात्र आवेदकों की उपर्युक्तता/कौशल परीक्षा अथवा साक्षात्कार आयोजित कराई जावेगी ।

कौशल परीक्षा

लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार के पूर्व या पश्चात् दस्तावेज परीक्षण/जांच किया जावेगा ।कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की वेबसाईट <https://raipur.dcourts.gov.in> पर अपलोड किया जावेगा । परीक्षा हेतु सूचना पत्र ,प्रवेश पत्र बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा ।

चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची

1. उपर्युक्तता/कौशल परीक्षा /साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी ।
2. परीक्षा में समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को चयनित किया जावेगा । जन्मतिथि समान होने पर जिस अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पहले प्राप्त हुआ है, उसे चयन किया जावेगा ।
3. प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी । चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची से पदों की पूर्ति की जा संकेगी ।
4. चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय में चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा, तथा आरक्षित वर्ग में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध शपथ पत्र प्रस्तुत

करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा । आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ0ग0 रायपुर से कराया जावेगा । प्रमाण पत्रों की जांच में विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी ।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. अभ्यर्थी पृथक-पृथक पद हेतु आवेदन पत्र पृथक-पृथक पेश करें ।
2. सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 1269 दिनांक 23.08.14 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी ।
2. विज्ञापन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे । प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र स्वमेय निरस्त माना जावेगा । अपूर्ण अथवा बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । आवेदक किस पद हेतु आवेदन कर रहा है उसका आवेदन पत्र में उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना अनिवार्य है ।
3. प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय आवेदक की ओर से शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो, चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में, नियुक्ति किसी भी समय निरस्त/समाप्त की जावेगी । आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा ।
4. चयन समिति को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी आवेदन पत्र या समस्त आवेदन पत्रों को छंटाई के दौरान या कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेंगे ।
5. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ प्राप्त प्रवेश पत्र में स्वयं का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर पहचान पत्र (यथा ड्राईविंग लायसेंस/वोटर आई.डी./आधार कार्ड/पैन कार्ड) एवं शैक्षणिक योग्यता व विशेष योग्यता संबंधी दस्तावेज की मूल प्रति के साथ आयोजित परीक्षा हेतु उपस्थित रहना होगा । उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।
6. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा उनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने पर कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।
7. प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें । यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी

पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी । त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा ।

8. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं आवश्यक जांच एवं परीक्षण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवार किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार चयन समिति सुरक्षित रखती है ।
9. चयन प्रक्रिया के संबंध में चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा ।
10. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम समय परिणाम के छः माह के पश्चात् विनिष्टिकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि / निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा ।

रायपुर
दिनांक 15.03.2024

सही /-
अध्यक्ष
चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

(आकस्मिकता निधि से वेतनपाने वाले कर्मचारी
(फर्राश, माली, वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप)

प्रति,

प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
रायपुर (छ0ग0)

स्वप्रमाणित वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नाम :.....
2. आवेदक का पूरा नाम(हिन्दी में) :.....
3. लिंग- पुरुष संकेतक-1, महिला संकेतक-2
4. पिता/पति का नाम :.....
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :.....
(हिन्दी में) :.....
(ब) स्थाई पता :.....
:.....
:.....
6. (अ) जन्म तिथि(अंकों में) :.....
(शब्दों में) :.....
7. दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में आयु :-
8. आवेदक का मोबाईल नम्बर :.....
9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हाँ / नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हाँ / नहीं
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
11. क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं
12. क्या आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई
दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया गया है अथवा लंबित है?
(हाँ/नहीं) (यदि हाँ तो स्पष्ट विवरण दे)

13. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

14. विशेष योग्यता यदि हो तो :-

(प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें) _____

15. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यापित दस्तावेजों का विवरण :-

1..... 2.....
 3..... 4.....
 5..... 6.....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता है कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी ।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर—

नाम एवं पूरा पता—

मोबाईल नं.

ई-मेल

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)

:--प्रवेश पत्र:--

(आकस्मिकता निधि से वेतनपाने वाले कर्मचारी
(फर्राश, माली, वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर के पद हेतु)

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो

आवेदक का पंजीयन क्रमांक	
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	

आवेदित पद का नाम :- _____

अभ्यर्थी का नाम :- _____

पिता/पति का नाम :- _____

वर्ग--(अना./अजा./अ.ज.जा/अ.पि.व):- _____

परीक्षा तिथि :- _____

समय :- _____

परीक्षा केन्द्र :- _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर